



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण धारात राष्त्रमत | ६००० दिन सत्रिकै | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 आरसीबी के अभ्यास शिविर से जुड़े विराट कोहली

6 गौरेया की विलुप्ति की त्रासदी चिंताजनक

7 'दबंग' की अगली कड़ी को निर्देशित करना चाहते हैं अरबाज खान



अज्ञान विवाद : अपनी दुकान में भजन सुन रहे शख्स को बुरी तरह पीटा

■ युवा दुकानदार के पिता ने की अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु में हलसुरु गेट पुलिस थाना क्षेत्र में कब्जनापेट इलाके के सिद्धनागल्ली स्थित एक दुकान में हनुमानजी के भजन सुन रहे दुकानदार युवक को कुछ युवकों ने बुरी तरह पीटा, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। मामला कथित तौर पर अज्ञान विवाद का बताया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविवार शाम को चार-पांच युवकों के एक समूह ने पहले तो दुकानदार के साथ बहस की, उसके

बाद उसे बाहर निकालकर पीटा। आरोप है कि दुकानदार मुकेश अपनी दुकान में हनुमानजी के भजन सुन रहा था। इसी दौरान कुछ युवक आए और उन्होंने 'अज्ञान' का समय होने की बात कहकर उसकी बुरी तरह पीटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने कहा है कि उसने सोमवार को तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी संदिग्धों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। पुलिस ने बताया कि दुकानदार के तेज आवाज में 'हनुमान चालीसा' बजाने को लेकर विवाद हुआ था। उसने कहा कि आरोप के समर्थन में



सीसीटीवी में कैद घटना के वीडियो से लिए गए चित्र।

कोई ठोस सबूत नहीं मिला और शिकायत में भी इसका उल्लेख नहीं है। पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की एफआईआर के अनुसार, तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच

झगड़ा हुआ था जबकि दुकान साउंड सिस्टम के स्पीकर आदि की हैं जिसमें रोज ही दुकानदार भजन आदि बजाता है, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया

चाकू से वार की धमकी दी!

मीडिया से बात करते हुए दुकानदार मुकेश ने कहा कि मैंने हनुमानजी का भजन चला रखा था। अचानक चार-पांच लोग आए और बोले कि 'अज्ञान' का समय हो गया है और अगर भजन चलाओगे तो हम तुम्हें पीटेंगे। उन्होंने मुझे पीटा और धमकी भी दी कि वे मुझ पर चाकू से वार करेंगे।

पर आया, जिसमें युवकों का एक समूह दुकानदार से झगड़ता दिख रहा है। तीखी बहस के बीच उनमें से एक ने दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया। पीड़ित ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की संख्या 5-6

थी इसलिए वह सामना नहीं कर पाया। उन्होंने उसे दुकान से बाहर खींचा और जमकर मारपीट की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'शिकायत के आधार पर हमने हलसुरु पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की है और घटना के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।' उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति साझा मंशा के तहत अधियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सिस्टम पर कैसे भरोसा करे आम आदमी?

घटना के बाद बेंगलूरु दक्षिण क्षेत्र के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या दुकानदार से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में ऐसे चरमपंथी तत्व निर्दोष लोगों को निशाना बनाने के लिए अपने आपको ताकतवर महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने बेंगलूरु पुलिस आयुक्त से आग्रह किया कि वे मामले की तेजी से निष्पक्ष जांच कराएं और आरोपियों को गिरफ्तार करें। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'एक आम आदमी सिस्टम पर, उन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकता है, जिन पर सुरक्षा करने, न्याय देने की जिम्मेदारी है, अगर जानबूझकर एफआईआर इस तरह से दर्ज की जाती है कि मुख्य सामग्री को हटा दिया जाए?' उन्होंने कहा, 'जिस सरकार के पास विश्वसनीय, तथ्यात्मक एफआईआर भी नहीं हो सकती, उस पर लोगों को न्याय देने का भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमने मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारियों और गृह मंत्री से मांग की है कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है, हम चाहते हैं कि मंगलवार सुबह तक ये सभी उपद्रवी गिरफ्तार किए जाएं।'



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोयंबटूर में सोमवार को रोड शो किया। इस दौरान 1998 के सिलसिलेवार बम विस्फोट में मारे गए 58 लोगों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की।

'शक्ति' पर वार का मतलब देश की माताओं-बहनों पर वार है : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

शिवमोगा/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्वेल्व्सिव अलायंस' (इंडिया) पर हिन्दू धर्म में समाहित 'शक्ति' के विनाश का एलान करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नारी और शक्ति का हर उपासक उसे इसका जवाब देगा। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, कल मुंबई में इंडी गठबंधन की तरफ से एक खुला एलान किया गया है। वे लोग हिन्दू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिन्दू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने एलान कर दिया है। अगर शक्ति विनाश का उनका एलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी एलान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने

■ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा था, हिन्दू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं...एक शक्ति से लड़ रहे हैं।

रविवार को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा था, हिन्दू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं...एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा कि राजा की आत्मा इंधीपम में है। सही है...सही है कि राजा की आत्मा इंधीपम में है... हिन्दुस्तान की हर संस्था में है। इंडी में है, सीबीआई में है, आयकर विभाग में है। उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बिना कहा कि इसी प्रदेश (महाराष्ट्र) के एक

वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, और उनकी मां सोनिया गांधी से 'रो कर' कहते हैं कि 'भरे में इन लोगों से... इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है... में जेल नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी ने आगे कहा, ...और ये एक नहीं हैं। ऐसे हजारों लोग डर गए हैं। क्या आप सोचते हो कि शिव सेना के लोग, राकपा के लोग ऐसे ही चले गए (भाजपा में)। नहीं... जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ... उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको भाजपा की ओर किया है और वह सब डरकर गए हैं।

19-03-2024	20-03-2024
सूर्योदय 6:12 बजे	सूर्योदय 6:19 बजे
BSE 72,748.42 (+104.99)	NSE 22,055.70 (+32.35)
सोना 6,814 रु. (24 केटर) प्रति ग्राम	चांदी 80,000 रु. प्रति किलो

चुनावी बॉण्ड की सभी जानकारियों का खुलासा करने एसबीआई को निर्देश 21 मार्च तक खुलासा करे एसबीआई

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे मनमाना रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का 'पूरी तरह खुलासा' करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने को कहा जिसमें विशिष्ट बॉण्ड संख्याएं भी शामिल हैं जिससे खरीददार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि इसमें 'कोई संदेह नहीं' है कि एसबीआई को बॉण्ड की सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करना होगा। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग एसबीआई से जानकारियां मिलने के बाद अपनी वेबसाइट पर तुरंत इन्हें अपलोड करे। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदा के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को एसबीआई को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉण्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

अवसर समाप्त होने से पहले लाभ उठाएं

अपनी अपडेटेड रिटर्न आज ही दाखिल करें।

निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2024

आप निर्धारण वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपडेटेड रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।

अपडेटेड रिटर्न निम्नलिखित मामलों में दाखिल की जा सकती है;

- यदि मूल विवरणी दाखिल नहीं की गई है
- यदि विलंबित विवरणी की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है
- यदि आय की घोषणा सही रूप से नहीं की गई है, तो मूल विवरणी में संशोधन के लिए
- यदि आय का गलत शीर्ष चुना गया और गलत दर से कर का भुगतान किया गया
- यदि अग्रणीत हानि या असमायोजित मूल्यह्रास में कमी अपेक्षित है
- यदि MAT/AMT क्रेडिट में कमी अपेक्षित है
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 (6) के तहत कटौती/छूट के दावे की सूचना के लिए यदि आपको नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आपके पास उपयुक्त स्पष्टीकरण/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है
- यदि आपने गलत कटौती/छूट का दावा किया है

यदि आप 31.03.2024 तक आईटीआर-यू (अपडेटेड रिटर्न) दाखिल करते हैं	अतिरिक्त कर की देय राशि
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए	कुल कर और ब्याज का 50% देय
निर्धारण वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए	कुल कर और ब्याज का 25% देय

अधिक जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (8ए) और 140 (बी) (3) का कृपया संदर्भ लें। विलंब न करें, आज ही दाखिल करें।

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं

QR Code: ई-गोशर के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndiaOfficial @IncomeTaxIndiaOfficial @Income Tax India @Income Tax India Official

cbc 15401/13/0024/2324

